उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या – 18/2014

मो० द्रोपदी वगैरह बनाम् रामाशंकर महतो एवं राज्य

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

– :: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित कागजातों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–कुम्हरदगा, थाना नं०–51, थाना–गोला के अन्तर्गत खाता नं०–12, प्लॉट नं०–1443, कुल रकबा–0.72 एकड़ मध्य रकवा–0.20 ए० भूमि प्रतिवादी रामाशंकर महतो, पिता–स्व० गणेश महतो, ग्राम–कुम्हरदगा, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के नाम, गलत तरिके से आवेदकगण को भूमि बिक्री हेतु अनुमति निम्न न्यायालय द्वारा दी गई है, जो नियम के विरूद्ध है। इन्होंने निम्न न्यायालय में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में दायर परमिशन वाद संख्या–01/2014–15 मृत्युंजय महथा वगैरह बनाम रामाशंकर महतो में आवेदकगण प्रश्नगत भूमि मौजा–कुम्हरदगा, थाना नं०–51, थाना–गोला के अन्तर्गत खाता नं०–12, प्लॉट नं०–1443, कुल रकबा–0.72 एकड़ मध्य रकवा–0.20 ए० भूमि के वास्तविक रैयत है। इनका यह भी कहना है कि विधिवत प्रक्रिया के तहत् हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में बिक्री की अनुमति हेतु आदेश पारित किया गया है, जो नियम–संगत है। इन्होंने अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित दस्तावेजों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के बावत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा परमिशन वाद संख्या–01/2014–15 मृत्युंजय महथा वगैरह बनाम रामाशंकर महतो में दिनांक–19.07.2014 को पारित अनुमति आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजते हुए अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

02/11/18

उपायुक्त
रामगढ़।

02/11/18

उपायुक्त,
रामगढ़।